**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 398

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में गैर-मौजूद संस्थानों का चयन**

**398. श्री रिपुन बोराः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने इरादों एवं किसी योजना के आधार पर ही किसी गैर-मौजूद संस्थान को प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में चयनित किए जाने पर आपत्ति दर्ज करायी है;

(ख) यदि हां, तो उस मंत्रालय द्वारा की गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है और इन आपत्तियों को क्यों नामंजूर किया गया;

(ग) क्या शक्ति प्रदत्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) ने भी अपने प्रतिवेदन में बिना किसी टैक रिकार्ड वाले आवेदकों से प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में चयन किए जाने संबंधी कठिनाइयों को स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो ईईसी की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) और (ख): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (उत्‍कृष्‍ट संस्‍थान समविश्‍वविद्यालय) विनियम, 2017 को वित्‍त मंत्रालय सहित अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद तैयार किया गया था। ग्रीनफील्‍ड पहलों को भी यदि उनकी मजबूत योजना है, पर विश्‍व स्‍तरीय स्थिति तक पहुंचने के प्रयास के अनुमति देने का यह विवेकपूर्ण निर्णय था और इसे पर्याप्‍त संसाधनों से पूर्ण किया गया था। योजना की मजबूती और उपयोगिता का आंकलन इस उद्देश्‍य के लिए गठित अधिकारप्राप्‍त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) द्वारा किया जाएगा। किसी भी ग्रीनफील्‍ड संस्‍थान को उत्‍कृष्‍ट संस्‍थान का स्‍तर प्रदान नहीं किया गया है। उन्‍हें उनके कार्यनीतिक विजन और कार्यान्‍वयन योजना के आधार पर आशय पत्र (एलओआई) दिया गया है। इन संस्‍थानों को तीन वर्षों की अवधि के भीतर ईईसी द्वारा आंकलित और की गई सिफारिश के अनुसार उनके कार्य-निष्‍पादन के आधार पर उत्‍कृष्‍ट संस्‍थान का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

(ग) और (घ): ईईसी ने प्रस्‍तावित संस्‍थान की संभाव्‍यता का उसके प्रोमोटर समूह, उसके वित्‍तीय स्‍तर, नई परियोजनाओं के लिए वित्‍तीय और अवसंरचना प्रतिबद्धता, गतिविधियों के संबंधित क्षेत्र में नेतृत्‍व या कर्ता के रूप में उसकी प्रतिष्‍ठा से संबंधित सूचना पर आंकलन किया था और इसके आधार पर, ईईसी इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रस्‍ताव की उपयुक्‍तता है और उसके अपेक्षित आईओई लक्ष्‍य की प्राप्ति की संभावना है। ईईसी की सिफारिशों पर यूजीसी द्वारा विचार और अनुमोदन किया गया था।

**\*\*\*\*\***